राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना सरकारी भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1955

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारंभ 54
2. निर्वचन 54

भाग—क

आवंटन

3. आवंटन के निबन्धन 57
4. पुराने पट्टों का रद्दकरण 58
5. आवंटन की प्रक्रिया 58
6. आवंटन प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना 58
7. भूमि के आवंटन के लिए आवेदन पत्र 59
7क. नामंजूर किया जाना एवं अपील 59
8. कतिपय सूचना का प्रकटीकरण 59
9. पटेलों एवम् पटवारियों का परीक्षण 60
10. संयुक्त कुटुम्ब की प्रास्थिति 61
10क. सहभागीदार की प्रास्थिति 61
11. क्षेत्रों की संगणना 61
12. आवंटन करते समय अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्त 61
13. सरकारी भूमियों के आवंटन के पात्र व्यक्ति 61
13क. अतिचारियों के कतिपय मामलों का नियमितीकरण 63
14. सरकारी भूमियों के आवंटन के लिए अपात्र व्यक्ति 65
15. भूमिहीन विस्थापित व्यक्तियों को आवंटन 66
16. आवंटन की परिसीमा 66
16क. अपवाद 69
16ख. काश्तकार, जिसके पास अस्थाई काश्त पट्टा था, देहावसान पर भूमि का आवंटन. 70
16ग. 31.12.1951 के पश्चात् हुए विभाजन एवम् अन्य संक्रामण 71
17. मूल्यों का नियतन 71
17क. इन नियमों में किसी बात के प्रतिकूल होते 72
17ख. मध्यम भूखण्ड का आवंटन 73
18. अपील का पुनरीक्षण 73
18क. कोई व्यक्ति जिसके विरूद्ध भूमि के उसके आवंटन को रद्द 74

भाग—ख

विक्रय

19. आवंटन एवम् विक्रय के लिए भूमि का आरक्षण 74
20. नीलामी द्वारा विक्रय की सूचना का जारी किया जाना 75
21. नीलामी का संचालन करने वाला अधिकारी 75
22. विक्रय की शर्तें 75
अनुसूची 78

राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना सरकारी भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1955

[अधिसूचना सं. एफ. 6 (79) राजस्व (ख) 54 दिनांक 15.12.1955, राजस्थान राजपत्र भाग IV-ग दिनांक 25.12.1955 में प्रकाशित]

निम्नलिखित के द्वारा यथासंशोधित :–

1. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख./55, दिनांक 25.05.1956, राजस्थान राज-पत्र भाग IV-ग, दिनांक 23.06.1956 में प्रकाशित;
2. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख./54, दिनांक 08.12.1956, राजस्थान राज-पत्र भाग IV-ग, दिनांक 20.12.1956 में प्रकाशित;
3. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/क./54, दिनांक 04.09.1957, राजस्थान राज-पत्र भाग IV-ग दिनांक 26.09.1957 में प्रकाशित;
4. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ I /54, दिनांक 17.09.1957, राजस्थान राज-पत्र भाग IV-ग, दिनांक 03.10.1957 में प्रकाशित;
5. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ I /54, दिनांक 05.10.1957, राजस्थान राज-पत्र भाग IV-ग दिनांक 24.10.1957 में प्रकाशित;
6. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/II/54, दिनांक 29.11.1957, राजस्थान राज-पत्र भाग IV-ग, दिनांक 12.12.1957 में प्रकाशित;
7. अधिसूचना सं. एफ. 6 (80) राजस्व/क/56, दिनांक 09.01.1958, राजस्थान राज-पत्र भाग IV-ग, दिनांक 30.01.1958 में प्रकाशित;
8. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख/54, दिनांक 04.04.1958, राजस्थान राज-पत्र भाग IV-ग, दिनांक 29.05.1958 में प्रकाशित;
9. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख/54, दिनांक 31.05.1958, राजस्थान राज-पत्र भाग IV-ग, दिनांक 31.07.1958 में प्रकाशित;
10. अधिसूचना सं. एफ0 6 (77) राजस्व/क/ख/54, दिनांक 25.01.1958, राजस्थान राज-पत्र भाग IV-ग, दिनांक 29.05.1959 में प्रकाशित;
11. अधिसूचना सं. एफ. 7 (208) सिंचाई/59, दिनांक 17.08.1961, राजस्थान राज-पत्र भाग IV-ग, दिनांक 23.11.1961 में प्रकाशित;
12. अधिसूचना सं. एफ. 7 (24) सिंचाई/61, दिनांक 10.08.1962, राजस्थान राज-पत्र भाग IV-ग, दिनांक 07.02.1963 में प्रकाशित;
13. अधिसूचना सं. एफ. 7 (142) सिंचाई/61, दिनांक 13.11.1964, राजस्थान राज-पत्र भाग IV-ग, दिनांक 13.11.1964 में प्रकाशित;
14. अधिसूचना सं. एफ. 10 (7) राजस्व/ख/सिंचाई/64, दिनांक 24.09.1965, राजस्थान राज-पत्र भाग IV-ग, दिनांक 11.11.1965 में प्रकाशित;
15. अधिसूचना सं. एफ. 22 (26) राजस्व/उपनि./65, दिनांक 23.09.1966, राजस्थान राज-पत्र भाग IV-ग, दिनांक 06.04.1967 में प्रकाशित;

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधिनियम सं. 27) की धारा 28 सपठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है; नामार्थ :-

1.संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारंभ – (1) ये नियम राजस्थान उपनिवेश (भाखड़ा परियोजना सरकारी भूमि आवंटन [1][एवं विक्रय]) नियम, 1955 कहे जा सकेंगे।

(2) इनका प्रसार भाखड़ा परियोजना नहरों द्वारा सिंचित होने वाले उस संपूर्ण क्षेत्र में होगा, जिसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये ग्राम सम्मिलित हैं।

(3) ये राजस्थान राज-पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निर्वचन – जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इन नियमों में –

(i) **"अधिनियम"** से राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधिनियम सं. 27) अभिप्रेत है।

(ii) **"आवंटन प्राधिकारी"** से अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (i) में यथा परिभाषित कलक्टर अभिप्रेत है;

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/I/54, दिनांक 05.10.1957 द्वारा जोड़ा गया।

[1][(ii-क) "एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी पहचान इस रूप में की गयी है कि वह जीवन निर्वाह के नीचे के स्तर का है और जिसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है तथा जिसे कलक्टर या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा इस रूप में प्रमाणित किया गया है;]

[2][(iii) "उपनिवेश तहसीलदार" से उपनिवेशन विभाग में तहसीलदार या राजस्व तहसीलदार, जहां उपनिवेशन संक्रियाएं शुरू नहीं हुई हैं, के रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;]

[3][(iii-क) "उपनिवेश नायब तहसीलदार" से उपनिवेशन विभाग में नायब तहसीलदार या राजस्व नायब तहसीलदार, जहां उपनिवेशन संक्रियाएं शुरू नहीं हुई हैं, के रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;]

(iv) "कमाण्ड भूमि" से सिंचाई विभाग द्वारा किसी विशिष्ट चक या नहर के अपने कमाण्ड विवरण में इस रूप में दर्शायी गई भूमि अभिप्रेत है;

[4][(iv-क) [5]["उपनिवेशन उपायुक्त"] से उपनिवेशन विभाग में इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;]

(v) "सरकारी भूमि" से अभिप्रेत है तथा उसमें सम्मिलित हैं, सभी अनाधिवासित भूमियां, सामूहिक ग्राम भूमियां, और किसी विशिष्ट कालावधि या किसी विशिष्ट शर्त के अधीन अस्थायी काश्त पट्टा या पट्टों के अधीन धारित भूमियां, यदि पट्टे की ऐसी कालावधि समाप्त हो चुकी है या इसकी शर्तें सम्यक् रूप से पूर्ण नहीं की गयी हैं, [6][और पुनर्ग्रहित जागीर ग्रामों] [7][या पुनर्ग्रहित जमीदारी एवं बिस्वेदारी रियासतों की ऐसी समस्त भूमियां, जिन पर किसी भी काश्तकार को मौरूसी या खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये गये हैं और जो खतौनी पैमायश एवं अन्तिम भू-प्रबंध के अभिलेखों में "आराजी मकबूजा जागीरदार या भोगतन" के रूप में अथवा "आराजी मकबूजा ठिकाना"] [8][अथवा "शामलात" के रूप में दर्ज है।]

[9][(v-क) "सूचक मूल्य" से क्षेत्र, जिसमें आवंटित या विक्रय की जाने वाली भूमि स्थित है, के लिए समान मृदा वर्ग की भूमि के सम्बन्ध में राजस्थान मुद्रांक नियम, 1955 के उपबन्धों के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित बाजार मूल्य अभिप्रेत है।

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(25) राजस्व/उपनि./77, दिनांक 10.11.1982 द्वारा अन्तः स्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 10 (7) राजस्व/ख/सिंचाई/64, दिनांक 24.09.1965 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ I/54, दिनांक 05.10.1957 द्वारा जोड़ा गया।
4. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख./55, दिनांक 25.05.1956 द्वारा जोड़ा गया।
5. अधिसूचना सं. एफ. 7 (142) सिंचाई/61, दिनांक 13.11.1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख./55, दिनांक 25.05.1956 द्वारा जोड़ा गया।
7. अधिसूचना सं. एफ. 7 (208) सिंचाई/59, दिनांक 17.08.1961 द्वारा जोड़ा गया।
8. अधिसूचना सं. एफ. 7 (208) सिंचाई/59, दिनांक 17.08.1961 द्वारा जोड़ा गया।
9. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) उपनि./95, दिनांक 05.05.1999 द्वारा अन्तः स्थापित।

[1][(v-ख) "एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम" से ऐसा कार्यक्रम अभिप्रेत है, जो कि राज्य सरकार द्वारा गरीबी की रेखा के और जीवन निर्वाह स्तर के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धनतम व्यक्तियों की पहचान करने तथा उनके आर्थिक उत्थान के लिए उत्पादक आस्तियां उपलब्ध कराने एवं फायदा पहुंचाने के लिए चलाया जाता है;]

(vi) "भूमिहीन काश्तकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो वृतिका से सद्भाविक कृषक है, जो स्वयं काश्त करता है या जिससे युक्तियुक्त रूप से काश्त करने की आपेक्षा की जा सकती है और जो स्वत्वाधिकार, मौरूसी या खातेदारी अधिकारों के अधीन अपने स्वयं के नाम में या अपने संयुक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में कोई भूमि धारित नहीं करता है और जो किसी भू-स्वामी अथवा स्वत्वाधिकार, मौरूसी या खातेदारी भू-धृति के अधीन खाता धारित करने वाले ऐसे भू-धारक, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अथवा उस क्षेत्र, जिसमें भूमि स्थित है, में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन निष्कासन के लिए दायी नहीं है, का उप-काश्तकार नहीं है:

[2][परन्तु उप-खण्ड अधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित कोई निर्मुक्त सागड़ी उस ग्राम का भूमिहीन व्यक्ति माना जायेगा :]

[3][परन्तु यह और कि व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को भूमिहीन व्यक्ति नहीं समझा जायेगा, अर्थात् :–

(क) सरकार या किसी वाणिज्यक अथवा औद्योगिक संस्थान या समुत्थान के आकस्मिक या कार्य प्रभारित कोई कर्मचारी, उसकी पत्नी तथा उस पर आश्रित उसके बच्चे;

(ख) ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं द्वारा धारित या स्वयं को आवंटित सम्पूर्ण भूमि या उसका कोई भाग, सरकार या किसी विधिक निकाय को अंतरित करने या उनके द्वारा अवाप्त किये जाने के अन्यथा, विक्रय कर दिया है या अन्यथा अंतरित कर दिया है और इस प्रकार भूमिहीन कृषक बनने के लिए अपनी जोत के आकार को कम कर दिया है;

स्पष्टीकरण – इस परन्तुक के प्रयोजनार्थ 'सागड़ी' से बंधित श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 19) में यथा परिभाषित बंधक मजदूर अभिप्रेत है।]

(vii) "भूधृति भूमि" से स्वत्वाधिकार, मौरूसी या खातेदारी अधिकारों के अधीन धारित भूमि अभिप्रेत है और ऐसी भूमि से मिलकर बनने वाला खाता तथा उपर्युक्त सभी या उनमें से किन्हीं अधिकारों के अधीन भूमि धारित करने वाला व्यक्ति क्रमशः "भूधृति खाता" एवं "भूधृति काश्तकार" कहा जायेगा।

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(25) राजस्व/उपनि./77, दिनांक 10.11.1982 द्वारा प्रतिस्थापित एवं अधिसूचना सं. एफ. 4(10) उपनि./95, दिनांक 05.05.1999 द्वारा पुनः संख्याकित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(19) राजस्व/उपनि./76, दिनांक 27.08.1976 द्वारा जोड़ा गया।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) राजस्व/उपनि./75, दिनांक 27.12.1982 द्वारा जोड़ा गया।

(viii) ''अस्थायी काश्तकार'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, [1][जो 15.01.1987 को या उससे पूर्व] किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके पक्ष में मंजूर किये गये किसी अस्थायी काश्त पट्टा के अधीन सरकारी भूमि धारित कर रहा है और ऐसी अस्थायी काश्त पश्चात्वर्ती वर्षों में जारी रही है,] [2][तथा पुनर्ग्रहित जागीर ग्रामों [3][एवं पुनर्ग्रहित जागीदार व बिस्वेदारी रियासतों] की दशा में, भू-प्रबन्ध अभिलेखों में ''आराजी मकबूजा जागीरदार या भोगतन या ठिकाना'' के रूप में दर्शायी गयी भूमि का वह काश्तकार अभिप्रेत है, जिसे ऐसी भूमि पर गौरूसी या खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये गये हैं तथा जिसका ऐसी भूमि पर कब्जा उक्त भू-प्रबन्ध की मिसल बन्दोबस्त के ''नक्शा तनकीह हकूक खातेदार'' में केवल ''गैर दाखिलकारी'' के रूप में उल्लेखित किया गया है।]

[4][भाग-क

आवंटन

3. **आवंटन के निबन्धन** – (1) इन नियमों के अधीन सरकारी भूमियों के सभी आवंटन, अन्ततः खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के अधिकार सहित स्थायी आधार पर होंगे और जब तक अन्यथा कथन नहीं किया जाये, इस प्रकार किये गये सभी आवंटन, अधिनियम की धारा 7 के अधीन आवंटन या काश्तकारों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए समय-समय पर जारी की गयी शर्तों के सम्बन्धित विवरणों के अन्तर्गत विहित निबन्धनों एवम् शर्तों के अध्यधीन होंगे।

[5][(1-क) उस मामले में, जहां भूमि का आवंटन किस विवाहित कृषक को किया जाता है, तो आवंटन पति एवम् पत्नी के संयुक्त नाम में किया जायेगा और ऐसे मामले में आवंटी, संयुक्त आवंटीगण समझे जायेंगे।]

(2) (क) कोई भी व्यक्ति अधिकार के रूप में किसी अनुदान का या काश्तकार बनने का हकदार नहीं होगा और राजस्थान सरकार इन नियमों में संदर्भित भूमि के लिए काश्तकारों के चयन के अधिकार स्वयं में आरक्षित करती है तथा आत्यंतिक स्वविवेकाधिकार प्रतिधारित करती है।

(ख) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, सरकार किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए या व्यक्तियों अथवा काश्तकारों के किसी वर्ग को आवंटन के लिए किसी भूमि को आरक्षित करने के अधिकार को स्वयं में आरक्षित करती है :

[6][परंतु सरकार इस नियम के अधीन किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग में आवंटन की शक्तियां, उपनिवेशन आयुक्त या कलक्टर या अन्य किसी विहित प्राधिकारी को, ऐसे निबन्धनों एवम् शर्तों के अध्यधीन, जो इस निमित्त विहित की जायें, प्रत्यायोजित कर सकेगी।]

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 20 (9) उपनि. / 98, दिनांक 08.01.2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व / ख. / 55, दिनांक 25.05.1956 द्वारा जोड़ा गया।
3. अधिसूचना सं. एफ. 7 (208) सिंचाई / 59, दिनांक 17.08.1961 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व / I / 54, दिनांक 05.10.1957 द्वारा अन्तःस्थापित।
5. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि. / 99, दिनांक 11.09.2002 द्वारा अन्तःस्थापित।
6. अधिसूचना सं. एफ. 18 (3) राजस्व / उपनि. / 77, दिनांक 07.02.1981 द्वारा जोड़ा गया।

[1][(3) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य से संबंधित भूमि, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 एवम् 176 के अधीन तथा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 13 एवम् 14 के अधीन राज्य सरकार में निहित करती हैं, इन नियमों के उपबंधों के अनुसरण में केवल क्रमशः अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ही आवंटित की जायेगी।]

टिप्पणी

सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि आरक्षित – अभिनिर्धारित, ऐसी भूमि कृषि प्रयोजनों के लिए आवंटित नहीं की जा सकती। *कुम्भा राम मनोहर लाल बनाम राजस्थान राज्य,* 1979 R.R.D (NUC) 18.

4. पुराने पट्टों का रद्दकरण – इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से, उक्त प्रारम्भ के पूर्व परियोजना क्षेत्र में दिये गये सरकारी भूमि के पट्टों के निम्नलिखित प्रवर्गों पर्यवसित किये हुए समझे जायेंगे और उनके अधीन पट्टे पर दी गयी समस्त भूमियां 15 जून, 1955 से राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित हो जायेंगी :–

(1) अस्थायी काश्त के प्रयोजनार्थ मंजूर किये गये सभी पट्टे।

(2) अधिक अन्न एवम् चारा उपजाओ अभियान के अधीन या किसी अन्य विशिष्ट प्रयोजन के लिए दिये गये सभी पट्टे, यदि उनकी अवधि समाप्त हो गयी है या प्रदान की गयी भूमि पूर्णरूप से काश्त नहीं की गयी है या उस विशिष्ट प्रयोजन, जिसके लिए पट्टा मंजूर किया गया था, के लिए संपूर्ण विस्तार तक, उपयोग में नहीं लायी गयी है; और

(3) उन सहकारी सोसाइटियों के पक्ष में मंजूर किये गये सभी पट्टे, जिन्हें 1 जुलाई, 1955 के ठीक पूर्ववर्ती अंतिम तीन लगातार फसलों के लिए पूर्ण विस्तार तक काश्त नहीं किया गया है।

5. आवंटन की प्रक्रिया – (1) आवंटन प्राधिकारी समय-समय पर, ऐसा समय एवम् तारीख नियत कर सकेगा, जो वह उचित समझे, जिसके दौरान यह किसी विशिष्ट प्रयोजन अथवा व्यक्तियों या काश्तकारो के किसी प्रवर्ग के लिए क्षेत्र में स्थित या आरक्षित सरकारी भूमियों का आवंटन करेगा और ऐसी तारीखें विभिन्न क्षेत्रों या विभिन्न प्रयोजनों अथवा व्यक्तियों या काश्तकारों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए भिन्न-भिन्न हो सकेंगी।

6. [2][आवंटन प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना] – आवंटन प्राधिकारी, उसके द्वारा नियम 5 के अधीन नियत की गयी तारीखों की निम्नलिखित रीति से सार्वजनिक सूचना देगा :–

(क) जब आवंटन, अस्थायी काश्त पट्टों के अधीन सरकारी भूमियों को धारित करने वाले व्यक्तियों को किया जाना है, तो प्रत्येक काश्तकार को व्यक्तिगत रूप से हिन्दी में सूचना की तामील कराकर, या यदि वह अनुपस्थित है, तो उस स्थान पर सूचना चिपकवा कर जहां वह निवास करता है, या यदि वह ग्राम में निवास नहीं करता है, तो उस ग्राम, जिसमें भूमि स्थित है, के किसी सार्वजनिक स्थान पर उसकी एक प्रति चिपकवा कर।

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(13) राजस्व/उपनि./83/ii, दिनांक 25.11.1983 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिसूचना सं. एफ. 22 (6) राजस्व/उपनि./65, दिनांक 21.10.1967 द्वारा जोड़ा गया।

(ख) जब आवंटन, किसी गांव या किसी क्षेत्र विशेष के भूमिहीन काश्तकारों को या किसी विशिष्ट परियोजन के लिए या व्यक्तियों या काश्तकारों के किसी विशिष्ट वर्ग को किया जाना है, तो –

(i) राजस्थान राज-पत्र में और क्षेत्र में सर्वाधिक परिचालन रखने वाले स्थानीय समाचार पत्रों में, यदि कोई हों, हिन्दी में एक सूचना प्रकाशित कराकर, और

(ii) हिन्दी में उक्त सूचना की प्रतियां, कतिपय सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित कराकर और जहां तक सम्भव हो, उस ग्राम या ग्रामों, जिनमें आवंटित की जाने वाली भूमि स्थित हैं, मुनादी के द्वारा, उसकी एक घोषणा कराकर।

7. [1][**भूमि के आबंटन के लिए आवेदन पत्र**] – [2][(1)] नियम 6 के अधीन सूचना जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर कोई व्यक्ति, जो इन नियमों के अधीन सरकारी भूमि के आवंटन के लिए हकदार है, क्षेत्र के उपनिवेश तहसीलदार को ऐसे आवंटन के लिए लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा और उपनिवेश तहसीलदार इन नियमों के अधीन आवंटन के लिए आवदेक के दावे के संबंध में आवश्यक जांच करने के पश्चात् उनकी प्राप्ति के एक महीने के भीतर ऐसे सभी आवेदनों को प्रत्येक पर अपनी रिपोर्ट के साथ सम्बन्धित क्षेत्र के [3][उपनिवेशन उपायुक्त] अथवा [4][ऐसे अन्य अधिकारी, जिसे सरकार या आवंटन प्राधिकारी सरकार की पूर्व स्वीकृति से समय-समय पर इस निमित्त नियुक्त करे, के माध्यम से आवंटन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।]

[5][(2) जहां कोई आवेदक विवाहित कृषक है, तो आवंटन के लिए आवेदन पति एवम् पत्नी दोनों के नाम में प्रस्तुत किया जायेगा।]

[6][7-क. **नामंजूर किया जाना एवं अपील** – भूमि के आवंटन के लिए पात्र न पाये गये व्यक्तियों के आवेदन, [7][उपनिवेशन उपायुक्त] द्वारा नामंजूर किये जायेंगे। ऐसे अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के 30 दिवस के भीतर आयुक्त को कर सकेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

8. **कतिपय सूचना का प्रकटीकरण** – सरकारी भूमि के आवंटन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन के साथ निम्नलिखित पर सत्य सूचना देने वाला किसी मजिस्ट्रेट द्वारा या शपथ आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किया गया एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा :–

(क) ग्राम, जिला एवम् राज्य के नाम निर्दिष्ट करते हुए उसके निवास का स्थायी स्थान तथा वह स्थान जहाँ वह [8][साधारणतया] निवास करता है और अपनी जीविकोपार्जित करता है;

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 22 (6) राजस्व / उपनि. / 65, दिनांक 31.10.1967 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि. / 99, दिनांक 11.09.2002 द्वारा संख्यांकित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 7 (142) सिंचाई / 61, दिनांक 13.11.1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व / ख. / 55, दिनांक 25.05.1956 द्वारा जोड़ा गया
5. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि. / 99, दिनांक 11.09.2002 द्वारा जोड़ा गया।
6. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व / ख / 54, दिनांक 31.05.1958 द्वारा जोड़ा गया।
7. अधिसूचना सं. एफ. 7 (142) सिंचाई / 61, दिनांक 13.11.1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व / ख / 54, दिनांक 31.05.1958 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) क्या वह एक भूमिहीन काश्तकार है या क्या उसके या उसके संयुक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में, ग्राम में या किसी अन्य स्थान पर स्वत्वाधिकार, मौरूसी या खातेदारी अधिकारों के अधीन धारित भूमि का कोई भू-धृति खाता है, यदि कोई भूधृति खाता है, तो भूमि का वर्ग (अर्थात् सिंचित या बरानी), इसका क्षेत्र, भू-धृति का वर्ग और इसकी अवस्थिति के स्थान को विस्तृत रूप से उल्लेखित किया जायेगा।

(2) अपने अस्थायी काश्त पट्टा-धारक होने के आधार पर सरकारी भूमि के आवंटन का दावा करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना देगा :–

(क) ग्राम या किसी राज्य में [1][किसी] अन्य स्थान पर अस्थायी काश्त पट्टा के अधीन उसके द्वारा धारित सरकारी भूमि का पूर्ण ब्यौरा;

(ख) क्या उसकी अस्थायी काश्त परिवर्तित होती रही है अर्थात् एक भूमि से दूसरी भूमि समय-समय पर परिवर्तित करता रहा है या क्या वह उसी भूमि पर लगातार काश्त करता रहा है और यदि ऐसा है तो, किस वर्ष से; और

(ग) क्या उसके पट्टे के सम्बन्ध में भू-प्रबन्ध अभिलेखों में कोई विशिष्ट प्रविष्टि, जैसे [2][ताखेताम] बन्दोबस्त या "चौसाला" इत्यादि, की गयी हैं।

(3) अतीत में उसको मंजूर किये गये किसी विशेष पट्टे (जैसे और अधिक अन्न उपजाओ अभियान के अधीन पट्टा या उस सहकारी सोसाइटी, जिसका कि वह एक सदस्य था, को दिये गये पट्टा) के बल पर या किन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों के लिए या व्यक्तियों या काश्तकारों किसी विशेष वर्ग के आरक्षण के सदृश्य किसी अन्य विशिष्ट दावे के अधीन सरकारी भूमि के आवंटन का दावा करने वाला व्यक्ति, अपने दावे का समर्थन में, दस्तावेजों, यदि कोई हों, की प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित अपने पट्टा दावा का पूर्ण ब्यौरा देगा।

9. पटेलों एवम् पटवारियों का परीक्षण – आवेदक द्वारा दी गयी सूचना को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ और यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या वह भूमिहीन काश्तकार है या नहीं या उसके पास परियोजन क्षेत्र में किसी स्थान पर या [3][राजस्थान में किसी अन्य स्थान पर] खातेदारी, मौरूसी, या स्वामित्व अधिकारों के अधीन धारित कोई भू-धृति भूमि है और क्या वह किसी क्षेत्र विशेष का निवासी है या नहीं, आवंटन प्राधिकारी या उपनिवेश तहसीलदार [4][या इस निमित्त आवंटन प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत नायब तहसीलदार] उस ग्राम, जिसमें आवेदक रहता है या कोई भूमि काश्त करता है या जिसमें आवंटित की जाने वाली भूमि स्थित है, के किसी स्थानीय पटेल या पटवारी [1][या किसी अन्य व्यक्ति, जिसकी साक्ष्य आवश्यक समझी जाये,] के शपथ पर कथन अभिलिखित कर सकेगा।

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख/54, दिनांक 31.05.1958 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख/54, दिनांक 31.05.1958 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख./55, दिनांक 25.05.1956 द्वारा जोड़ा गया।
4. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख./55, दिनांक 25.05.1956 द्वारा जोड़ा गया।

10. [1][संयुक्त कुटुम्ब की प्रास्थिति] – कोई संयुक्त कुटुम्ब, विद्यमान भूधृति एवम् इन नियमों के अधीन भूमि के आवंटन के प्रयोजनार्थ एक व्यक्ति होना समझा जायेगा और तदनुसार व्यवहृत किया जायेगा, [2][और एक ही या विभिन्न वर्गों की भू-धृतियों के विभिन्न खातों के अधीन संयुक्त कुटुम्ब के विभिन्न सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से धारित की गयी सभी भूमियां संपूर्ण कुटुम्ब द्वारा संयुक्त रूप से धारित की जाने वाली समझी जायेंगी।]

[3][10-क. [4][सहभागीदार की प्रास्थिति] – जब कोई खाता दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित किया जाता है, तो प्रत्येक सहभागीदार द्वारा धारित क्षेत्र, जिसके लिए उनमें से प्रत्येक पात्र है, की संगणना के प्रयोजनों के लिए ऐसा सहभागीदार संयुक्त खाते के केवल ऐसे क्षेत्र के कब्जे में समझा जायेगा, जो उसके हिस्से में आता है।

11. [5][क्षेत्रों की संगणना] – जहां कमाण्ड एवं अनकमाण्ड या बारानी दोनों प्रकार की भूमियां एक ही व्यक्ति द्वारा धारित हैं या उसे आवंटित हैं, तो इस प्रकार धारित या आवंटित क्षेत्र का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कमाण्ड भूमि का एक बीघा अकमाण्ड या बारानी भूमि के तीन बीघा के बराबर समझा जायेगा। [6][किसी व्यक्ति द्वारा धारित क्षेत्र की संगणना करते समय परियोजना क्षेत्र के बाहर धारित बारानी भूमियों पर विचार किया जायेगा, परन्तु परियोजना के भीतर स्थित कमाण्ड भूमि का, परियोजना क्षेत्र के बाहर धारित ऐसी बारानी भूमियों से विनिमय या विनियम में आवंटन नहीं किया जायेगा।

12. [7][आवंटन करते समय अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्त] – सरकारी भूमि का आबंटन करते सगय जहां तक संभव हो, ग्राम में फैले हुए भूमियों के छोटे ब्लाकों का या तो उसी या निकटस्थ ग्रामों के उनके वर्तमान अस्थायी काश्त पट्टा धारकों को या अन्य भूमिहीन काश्तकारों को सर्वप्रथम निस्तारण किया जाएगा और इन छोटे ब्लाकों का निस्तारण कर दिये जाने के पश्चात् सरकारी भूमि के प्रत्येक ब्लाक का एक सिरे से निरन्तरता में बड़े ब्लाकों की भूमियों का आवंटन किया जायेगा, ताकि आवंटित या अनावंटित भूमियों के कम्पेक्ट ब्लाक को बनाया रखा जा सके तथा अनावंटित भूमियों के ब्लाकों के मध्य आवंटित भूमियों के पाकेटों के सृजन तथा विलोमतः, को जहां तक सम्भव हो बचाया जा सके।

13. **सरकारी भूमियों के आबंटन के पात्र व्यक्ति** – (1) उन मामलों के सिवाय, जहां सरकारी भूमि या भूमियों का किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए अथवा व्यक्तियों या काश्तकारों के किसी विशिष्ट प्रवर्ग को आवंटन के लिए आरक्षण किया गया है, और बशर्ते कि आवंटी, आवंटन के लिए इन नियमों के अधीन अन्यथा अनर्हित नहीं है, तो सरकारी भूमियों का आवंटन करते समय ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा, जो अस्थायी काश्त पट्टा के अधीन एक भूमिहीन काश्तकार के रूप में सरकारी भूमियों पर पहले से ही व्यक्तिगत रूप से काश्त कर रहा है।

(2) भूमिहीन काश्तकारों के मध्य आवंटन के लिए पूर्विकता नियत करने के प्रयोजनार्थ, पात्र आवंटियों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात् :–

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 22 (6) राजस्व/उपनि./65, दिनांक 21.10.1967 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/क./54, दिनांक 04.09.1957 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/क./54, दिनांक 04.09.1957 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 22 (6) राजस्व/उपनि./65, दिनांक 21.10.1967 द्वारा जोड़ा गया।
5. अधिसूचना सं. एफ. 22 (6) राजस्व/उपनि./65, दिनांक 21.10.1967 द्वारा जोड़ा गया।
6. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/क./54, दिनांक 04.09.1957 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. अधिसूचना सं. एफ. 22 (6) राजस्व/उपनि./65, दिनांक 21.10.1967 द्वारा जोड़ा गया।

[1][समूह-क

परियोजना क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले

[2][(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारी के रूप में शिनाख्त किये गये, क्रमशः ग्राम, तहसील या जिले के भूमिहीन व्यक्ति।]

[3][(कक)] ग्राम के निवासीगण जो उसमें 1947 के पूर्व से रह रहे हों।

(ख) वे निवासी, जो 1947 में और उसके पश्चात् [4][परन्तु 31 दिसम्बर, 1952 के पूर्व] ग्राम में स्थाई रूप से बस गये हों।

(ग) निकटस्थ ग्रामों के निवासीगण, जो 1947 के पूर्व से उनमें रह रहे हों।

(घ) निकटस्थ ग्रामों के निवासीगण, जो 1947 में और उसके पश्चात् [5][परन्तु 31 दिसम्बर, 1952 के पूर्व] उक्त ग्रामों में स्थायी रूप से बस गये हों।

(ङ) तहसील के अन्य ग्रामों के निवासीगण, जो 1947 के पूर्व से उनमें रह रहे हों।

(च) तहसील के अन्य ग्रामों के निवासीगण, जो 1947 में या उसके पश्चात्, [6][परन्तु 31 दिसम्बर, 1952 के पूर्व] उनमें स्थायी रूप से बस गये हों।

(छ) भाखड़ा परियोजना क्षेत्र की अन्य तहसीलों के निवासीगण, जो 1947 के पूर्व से उनमें रह रहे हों।

(ज) उक्त परियोजना क्षेत्र की अन्य तहसीलों के निवासीगण, जो 1947 में या उसके पश्चात् [7][परन्तु 31 दिसम्बर, 1952 के पूर्व] उनमें स्थायी रूप से बस गये हों।

समूह-ख

परियोजना क्षेत्र के बाहर निवास करने वाले

(क) हनुमानगढ़, भादरा, नोहर एवम् सूरतगढ़, तहसीलों के अनकमाण्ड क्षेत्रों के निवासीगण।

समूह-ग

राजस्थान के अन्य भागों में निवास करने वाले

(क) परियोजना क्षेत्र के किनारे से 15 मील के आंचल तक बीकानेर एवम् चूरू जिले के सीमांत क्षेत्र के निवासीगण।

(ख) गंग सिंचाई योजना द्वारा सिंचित ग्रामों को छोड़कर बीकानेर, चूरू एवम् गंगानगर जिलों की अन्य तहसीलों के निवासीगण।

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/क./54, दिनांक 04.09.1957 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(25) राजस्व/उपनि./77, दिनांक 10.11.1982 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(13) राजस्व/उपनि./76, दिनांक 19.09.1978 द्वारा अन्तः स्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख/54, दिनांक 31.05.1958 द्वारा जोड़ा गया।
5. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख/54, दिनांक 31.05.1958 द्वारा जोड़ा गया।
6. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख/54, दिनांक 31.05.1958 द्वारा जोड़ा गया।
7. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख/54, दिनांक 31.05.1958 द्वारा जोड़ा गया।

(ग) राजस्थान के अन्य उत्पीड़ित क्षेत्रों के भूमिहीन काश्तकार तथा भूमिहीन काश्तकारों को सरकारी भूमियों का आवंटन करते समय समूह "क" समूह "ख" पर पूर्विकता रखेगा, समूह "ख" समूह "ग" पर पूर्विकता रखेगा और एक ही समूह के भीतर अधिमान के उस क्रम में आवंटन किया जायेगा, जो प्रत्येक समूह में क्रमवार दिया गया है।

[1][(घ) उन ग्रामों, जिनके क्षेत्र गंग सिंचाई योजना द्वारा सिंचित हैं, के निवासीगण [2][जो उनमें 31 दिसम्बर 1952 के पूर्व से उनमें रह रहें हों।]

(ड) 31 दिसम्बर, 1952 के पूर्व परियोजना क्षेत्र में निवास करने वाले विस्थापित व्यक्ति।

(च) राजस्थान में किसी भी अन्य स्थान पर निवास करने वाले अन्य विस्थापित व्यक्ति, जिन्हें राजस्थान में सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका हो :]

[3][परन्तु ऐसे भूमिहीन काश्तकार, जो राजस्थान में कहीं भी कोई भू-धृति धारित नहीं करता है या ऐसी भूमि जिसे वह धारित करता है, ढ़ाई एकड़ सिंचित भूमि या पांच एकड़ असिंचित भूमि से कम है, को उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट उस प्रवर्ग के भीतर अधिमान प्रदान किया जायेगा, जो उससे सम्बन्धित है।]

(3) जहां एक ही प्रवर्ग के एक से अधिक आवेदक हों, तो ऐसी भूमि का आवंटन ऐसे सभी आवेदकों के मध्य उच्चतम बोली लगाने वाले को नीलामी द्वारा किया जायेगा।

टिप्पणी – नीलामी नियत किये गये मूल्य एवम् किश्तों के ऊपर संदत्त की जाने वाली प्रीमियम के लिए होगी और प्रीमियम की बोली राशि बोली लगाने वाले के पक्ष में नीलामी मंजूर कर दिये जाने के ठीक पश्चात् नकद रूप में संदत्त किये जाने की दायी होगी। किसी भी व्यक्ति को तब तक बोली लगाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अपनी बोली लगाने के लिए अग्रिम धनराशि के रूप में 5/– रूपये प्रति बीघा जमा नहीं करा देता।

टिप्पणी

भूमि का आवंटन – पात्रता – आवेदन की तारीख पर आवेदक अव्यस्क – अभिनिर्धारित, वह भूमि के आवंटन के लिए पात्र नहीं है। *बुद्धाराम बनाम राजस्थान राज्य,* 1984 WLN 292.

[4][**13-क. अतिचारियों के कतिपय मामलों का नियमितीकरण** – (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी और सरकार के विशेष या साधारण निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, आवंटन प्राधिकारी, [5][x x x x] किसी अतिचारी को उसके द्वारा अधिभुक्त भूमि से बेदखल करने के बजाय उसे राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (1973 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) के अधीन आवंटिती पर लागू अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग पर कब्जा बनाये रखना अनुज्ञात कर सकेगा :

1. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख./55, दिनांक 25.05.1956 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख/54, दिनांक 31.05.1958 द्वारा जोड़ा गया।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) राजस्व/उपनि./75, दिनांक 27.12.1982 द्वारा जोड़ा गया।
4. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./99, दिनांक 26.11.2004 द्वारा जोड़ा गया।
5. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./99, दिनांक 20.05.2009 हटाया गया।

[1][परन्तु यह कि ऐसा अतिचारी अतिचार की गयी भूमि पर 01.01.2000 से पूर्ववर्ती सात वर्षों के दौरान कम से कम पांच वर्ष तक कब्जे में रहा हो तथा दिनांक 01.01.2000 से अब भी लगातार कब्जे में रहा हो।]

(2) उप-नियम (1) में उपदर्शित रीति से नियमितीकरण होने पर, अतिचारी को इन नियमों के अधीन इस प्रकार नियमित भूमि आवंटित की हुई समझी जायेगी और वह इन नियमों में विहित निबन्धनों और शर्तों द्वारा शासित होगा।

(3) ऐसा अतिचारी नियमितीकरण होने पर, जिला स्तरीय समिति (जि.स्त.स.) दर पर कीमत का संदाय करने के लिए आबद्ध होगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन इस प्रकार नियत कीमत अतिचारी द्वारा चार वार्षिक किश्तों में संदत्त की जायेगी।

अतिचारी द्वारा प्रस्तुत कागज-पत्रों की संवीक्षा करने के पश्चात्, यदि यह पाया जाता है कि मामला नियमितीकरण के लिए उपयुक्त है, तो उक्त अतिचारी को निर्धारित रकम उपदर्शित करते हुए एक नोटिस दिया जायेगा और उक्त अतिचारी नोटिस की तामील होने के पश्चात् 15 दिन के भीतर प्रथम किश्त जमा करायेगा और जैसे ही प्रथम किश्त का संदाय कर दिया जाये, सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमितीकरण के आदेश जारी किये जायेंगे। पश्चात्वर्ती किश्त प्रति वर्ष 15 जुलाई को या उसके पूर्व संदेय होगी।

(5) इस प्रकार नियत भूमि की कीमत नियमितीकरण के आदेश की तारीख से शोध्य हुई समझी जायेगी और जो किश्त संदाय के लिए शोध्य हो गयी हो, उस पर 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज संदेय होगा।

(6) सभी किश्तें ब्याज सहित, यदि कोई हो, निकटतम कोषागार या उप-कोषागार में संदत्त की जायेंगी।

(7) आवंटिती को रिबेट की निम्नलिखित दरें अनुज्ञात होंगी :–

आवंटन के समय सम्पूर्ण कीमत के एक-मुश्त संदाय के लिए	अ.जा./अ.ज.जा के व्यक्ति/ए.ग्रा.वि.का. का हिताधिकारी/विस्थापित कृषक/विस्थापित भूमिहीन कृषक/निर्मुक्त सागड़ी	अन्य
	15%	10%]

[2][(8) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वह कृषि सहकारी सोसाइटी, जिसे भूमि आवंटित की गई थी और उक्त सोसाइटी ने उस भूमि का भाग अपने सदस्यों को खेती करने के लिए दे दिया था और उक्त भूमि राजस्थान (सहकारी सोसाइटियों को भूमि का आवंटन) नियम, 1959 के अधीन पुनर्ग्रहण कर ली गई है या ऐसे सदस्य या उसके उत्तराधिकारी, जिसने 1959 के उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (7) के अतिक्रमण में गैर-खातेदारी या खातेदारी अधिकार प्राप्त किये थे, द्वारा स्वेच्छा से

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./99, दिनांक 11.01.2008 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./2007, दिनांक 04.08.2008 द्वारा प्रतिस्थापित।

अभ्यर्पित की गई है, यदि ऐसा सदस्य, इन संशोधन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को या उससे पूर्व ऐसी सहकारी समिति का सदस्य था और ऐसा सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है और ऐसा सदस्य या उसका उत्तराधिकारी सद्भावी कृषक है और व्यक्तिगत रूप से उक्त भूमि पर निरन्तर खेती कर रहा है, तो आवटन प्राधिकारी, [1][x x x x] उसे बेदखल करने की बजाय उस सम्पूर्ण भूमि या उसके भाग को अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की दशा में आरक्षित मूल्य का पच्चीस प्रतिशत और अन्य की दशा में आरक्षित मूल्य का पचास प्रतिशत, पूर्व में निक्षिप्त रकम, यदि कोई हो, को घटाते हुए, संदाय करने पर आवंटित कर सकेगा।]

14. **सरकारी भूमियों के आवंटन के लिए अपात्र व्यक्ति** – निम्नलिखित प्रवर्गों के काश्तकारों में से किसी को भी सरकारी भूमि का कोई आवंटन नहीं किया जायेगा, भले ही उसके कब्जे में अस्थायी काश्त पट्टा के अधीन भूमि रही हो :–

[2][x x x x]

[3][(i) कोई व्यक्ति, जो राजस्थान के बाहर निवास करता है और राजस्थान में उसकी स्वयं की कोई कृषि भूमि नहीं है, लेकिन जो सरकारी भूमि के अस्थायी काश्त के प्रयोजनार्थ या अधिवासित भूमि के उप-काश्तकार के रूप में मात्र मौसम-दर-मौसम राजस्थान में आता है और अपने स्थायी निवास के स्थान को वापस चला जाता है।

(ii) सरकारी भूमियों का कोई अस्थायी काश्त पट्टाधारक, जिसने या तो [4][ऐसे पट्टे की कालावधि के दौरान एक से अधिक वर्ष के लिए] अपनी भूमियों को उप-पट्टे पर दे दिया हो या ऐसी भूमि को काश्त के अधीन नहीं रखा हो और पर्याप्त कारणों के बिना लगातार विगत तीन फसलों के लिए उन्हें अलग रखा हो।

(iii) स्वत्वाधिकार, मौरूसी या खातेदारी अधिकारों के अधीन भू-धृति खाता धारण करने वाला भू-स्वामी या भू-धारक का कोई उप-काश्तकार, [5][जो अपनी उप-काश्तकारी में पच्चीस बीघा या अधिक भूमि धारित करता है और जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 या क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपनी उप-काश्तकारी भूमियों से बेदखल किये जाने का दायी नहीं है।

[6][x x x x]

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./99, दिनांक 20.05.2009 द्वारा विलोपित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख./55, दिनांक 25.05.1956 द्वारा विलोपित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख./55, दिनांक 25.05.1956 द्वारा पुनःसंख्यांकित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ II/54, दिनांक 29.11.1957 द्वारा अन्तःस्थापित।
5. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख./55, दिनांक 25.05.1956 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख./55, दिनांक 25.05.1956 द्वारा विलोपित।

[1][15. [2][भूमिहीन विस्थापित व्यक्तियों को आबंटन] – विस्थापित व्यक्ति, जो भूमिहीन काश्तकार हैं तथा जो या तो परियोजना क्षेत्र में या राजस्थान में किसी अन्य स्थान पर निवास कर रहे हों, यदि इन नियमों के अधीन भूमि के आवंटन के लिए पात्र हैं, जहां तक संभव हो, को परियोजना क्षेत्र में उपलब्ध निष्क्रान्त भूमियां आवंटित की जानी चाहिए। जहां ऐसी भूमियां उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे विस्थापित व्यक्तियों को भू-प्रबन्ध अधिकारी (निष्क्रान्त सम्पत्ति) श्रीगंगानगर द्वारा सम्यक् रूप से जारी की गयी निष्क्रान्त भूमियों की अनुपलब्धता का प्रमाण-पत्र पेश किये जाने पर, नियम 13 में विहित की गयी पूर्विकताओं के क्रमानुसार सरकारी भूमियों में से भूमियां आवंटित की जा सकेंगी।]

[3][16. आवंटन की परिसीमा – परियोजना क्षेत्र में समस्त सरकारी भूमियां, जो चाहे नियम 4 के अधीन अनाधिवासित हों या पुनर्ग्रहीत हों, निम्नलिखित काश्तकारों के विभिन्न प्रवर्गों को उनके विरूद्ध दर्शाये गये मापमानों में आवंटित की जायेंगी :–

(1) अस्थायी काश्तकार, जो अस्थायी काश्त पट्टों के अधीन सरकारी भूमियों पर काश्त कर रहे हैं, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे पट्टे अतीत में समय-समय पर नवीनीकृत किये गये हैं, और जो अपने स्वयं के नाम में या अपने संयुक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में कोई भू-धृति भूमियां धारित नहीं करता है, यदि कोई –

(i) वे, जो 31 दिसम्बर 1947 के पूर्व से सरकारी भूमियों पर काश्त कर रहे हैं।	पांच से अनधिक, [4][वयस्क पुरूष सदस्यों,] जिन्होंने 18 वर्षों की आयु पूर्ण कर ली है, से मिलकर बनने वाले संयुक्त कुटुम्ब को पचास बीघा (दो मुरब्बा) और यदि पांच से अधिक [5][वयस्क पुरूष सदस्यों] से मिलकर संयुक्त कुटुम्ब बनता है, तो कुटुम्ब के ऐसे अतिरिक्त व्यस्क पुरूष सदस्य, जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, प्रति काश्तकार को 15 बीघे का अतिरिक्त क्षेत्र आवंटित किया जा सकेगा।
[6][(ii) वे, जो 31 दिसम्बर, 1947 के पश्चात् से सरकारी भूमियों पर काश्त कर रहे हैं।	(क) एक अस्थायी काश्त पट्टाधारक को उसके अस्थायी पट्टा में समाविष्ट करने वाली भूमि में से उस परिसीमा तक भूमि आवंटित की जायेगी, जिसका वह इस नियमों के अधीन पात्र है : परंतु यदि ऐसा पट्टाधारक 15 बीघे से कम ऐसी पट्टे की भूमि धारित करता है तो उतनी अधिशेष भूमि, जो भूमि की उस परिसीमा की कमी को पूर्ण करती हो, जिसका कि वह अन्य भूमिहीन व्यक्तिों के साथ भूमिहीन व्यक्ति के रूप में पात्र है, का आवंटन प्राप्त कर सकेगा।

1. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख./55, दिनांक 25.05.1956 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ II/54, दिनांक 29.11.1957 द्वारा जोड़ा गया।
3. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख./55, दिनांक 25.05.1956 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ़. 6 (77) राजस्व/ख./54, दिनांक 08.12.1956 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख./54, दिनांक 08.12.1956 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. अधिसूचना सं. एफ. 20 (9) उपनि./98, दिनांक 27.09.2001 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) यदि किसी अस्थायी काश्त पट्टा धारक का कोई वयस्क पुत्र/वयस्क अविवाहिता पुत्री इन नियमों के अधीन सरकारी भूमि के आवंटन का पात्र है और उसके पिता को भूमि के आवंटन के पश्चात्, पिता के अस्थायी काश्त पट्टा में समाविष्ट करने वाली भूमि में से कोई अधिशेष भूमि रहती है, तो ऐसी अधिशेष भूमि उस परिसीमा तक, जिसका कि वह पात्र है, वयस्क पुत्र/वयस्क अविवाहिता पुत्री को आवंटित की जा सकेगी। ऐसे वयस्क पुत्र/वयस्क अविवाहिता पुत्री एक से अधिक होने की दशा में, ऐसी अधिशेष भूमि उन्हें सह काश्तकारों के रूप में आवंटित की जायेगी।

स्पष्टीकरण – इस उप-नियम में पद "वयस्क पुत्र/वयस्क पुत्री" उस पुत्र/पुत्री से अभिप्रेत है, जो भारतीय 01.01.1985 को या इसके पहले भारतीय प्राप्तवयता अधिनियम, 1857 के अनुसार वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुका/चुकी है।]

(2) अपने स्वयं के नाम में या अपने संयुक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में स्वत्वाधिकार, मौरूसी, या खातेदारी अधिकारों के अधीन खाते धारण करने वाले भू-धृति काश्तकार –

(i) ऐसे काश्तकारों के मामले में, जिनका कुटुम्ब पांच से अनधिक वयस्क पुरूष, जिन्होंने 18 वर्षों की आयु प्राप्त कर ली हो, से मिलकर बनता है–

(क)	यदि उनके द्वारा या उनके संयुक्त कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा धारित भू-धृति भूमियों का क्षेत्र 50 बीघा या अधिक हैं।	अस्थाई काश्त पट्टों के अधीन उन द्वारा धारित क्षेत्र में से कोई सरकारी भूमि आवंटित नहीं की जायेगी।
(ख)	यदि उनके द्वारा या उनके संयुक्त कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा धारित भू-धृति भूमियों का क्षेत्र 50 बीघा से कम है।	[1][अस्थायी पट्टे पर उनके द्वारा धारित] सरकारी भूमि का केवल उतना क्षेत्र आवंटित किया जायेगा, जिससे भू-धृति भूमि तथा अब आवंटित की जाने वाली सरकारी भूमियों, दोनों को मिलाकर भूमि का योग 50 बीघा (दो मुरब्बा) हो जाये।

(ii) जहां किसी भू-धृति काश्तकार के संयुक्त कुटुम्ब में पांच से अधिक वयस्क पुरूष सदस्य हों, जिन्होंने 18 वर्षों की आयु प्राप्त कर ली हो, तो काश्तकार को प्रति व्यक्ति 15 बीघा का अतिरिक्त क्षेत्र, ऐसे अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य के लिए आवंटित किया जा सकेगा।

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख/54, दिनांक 31.05.1958 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][(iii) जब पिता को संयुक्त कुटुम्ब के कर्त्ता के रूप में आवंटन किया जाता है, तो वे सह-भागीदार, जो आवंटन के पश्चात् लेकिन 31 दिसम्बर, 1952 के पूर्व अलग हो गये हों तथा पट्टा भूमि पर विभाजन के समय से ही पृथक्-पृथक् तौर पर काश्त कर रहे हों, निम्नलिखित मापमान के अनुसार भूमि के आवंटन के पात्र हैं :–

(क) पिता — 50 बीघा, यदि वह 1947 से पूर्व का आवंटी है;

(ख) पुत्रगण — 25 बीघा प्रत्येक :

परन्तु उन्हें उनके द्वारा वास्तविक रूप से धारित पट्टा-भूमि से अधिक भूमि आवंटित नहीं की जायेगी और पुत्रों की भू-धृति में आनुपातिक कटौती की जायेगी, यदि पिता के पास 50 बीघा से अधिक भू-धृति है।]

(3)	भूमिहीन काश्तकार (विस्थापित व्यक्तियों से अन्यथा) जो वृत्ति से कृषक है तथा जिनका जीवन का प्रमुख आधार कृषि है, लेकिन जिनके पास उनके स्वयं के नाम में या कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में कोई कृषि भू-धृति या अस्थायी काश्त भूमि नहीं है और नियम 14 के खण्ड (ii) में यथानुध्यात उन पर किन्हीं अधिकारों को अर्जित किये बिना भू-धृति काश्तकारों के अधीन भूमि पर काश्त कर रहे हैं।	[2][15] बीघा, [3][x x x x]
[4][(3-क)	निर्मुक्त सागड़ी।	15 बीघा]
(4)	वे विस्थापित व्यक्ति, जो वृत्ति से कृषक है और जिनका जीवन का प्रमुख आधार कृषि है, लेकिन जिन्हें निष्क्रान्त सम्पत्ति भूमियों में से कोई भूमि आवंटित नहीं की गयी है और जिसके पक्ष में नियम 15 में यथा अनुध्यात प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है।	[5][15] बीघा [6][x x x x]
(5)	वे उप-काश्तकार, जो उप-काश्तकारी भूमि के 25 बीघा से कम ऐसी भूमि धारित करते हैं, जिस पर उन्होंने अधिकार अर्जित कर लिये हैं और जिरासो	सरकारी भूमि का उतना क्षेत्र, जिससे उनकी उप-काश्तकारी की भूमि और

1. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व / ख / 54, दिनांक 04.04.1958 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व / II / 54, दिनांक 29.11.1957 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व / ख / 54, दिनांक 04.04.1958 द्वारा विलोपित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 4(19) राजस्व / उपनि. / 76, दिनांक 27.08.1976 द्वारा जोड़ा गया।
5. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व / II / 54, दिनांक 29.11.1957 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व / ख / 54, दिनांक 04.04.1958 द्वारा विलोपित।

	वे नियम 14 के खण्ड [1][(iii)] में यथानुध्यात निष्कासित किये जाने के लिए दायी हैं।	अब आवंटित किये जाने वाली सरकारी भूमि का कुल योग [2][15 बीघा] हो जाये, अर्थात् [3][15 बीघा] तथा उसके द्वारा धारित उप-काश्तकारी भूमि के क्षेत्र के बीच के अंतर के बराबर क्षेत्र
(6)	स्वत्वाधिकार, मौरूसी या खातेदारी अधिकारों के अधीन खाता धारित करने वाले वे भू-धृति काश्तकार, जिन के पास खुदकाश्त प्रयोजनार्थ उनके भू-धृति खाते की 50 बीघा से कम भूमि रह गई है, यदि उनके उप-काश्तकारों, जो निष्कासित किये जाने के लिए दायी नहीं हैं, को उनकी उप-काश्तकारी की भूमि प्रतिधारित करने की अनुज्ञा दे दी जाती है।	सरकारी भूमि का उतना क्षेत्र, जिससे कि उसकी खुदकाश्त भूमि का क्षेत्र [4][15 बीघा] या एक मुरब्बा के बराबर हो जाये, अर्थात् [5][15 बीघा] तथा भू-धृति काश्तकार के पास छोड़ी गयी खुदकाश्त भूमि के क्षेत्र के बीच के अंतर के बराबर क्षेत्र।
(7)	बीकानेर एवम् चुरू जिले के ग्रामों और भाखड़ा परियोजना क्षेत्र के किनारे से 15 मील की गहराई के अन्दर पड़ने निकटस्थ जिला श्री गंगानगर की तहसील हनुमानगढ़, नोहर, भादरा एवम् सूरतगढ़ के ग्रामों की बारानी भूमियों के काश्तकार, बशर्ते कि ऐसे ग्राम राजस्थान नहर की सम्भावित सिंचित परिधि के अन्दर नहीं आते हों और यदि परियोजना के सीमांत क्षेत्र में ऐसे आवंटन के लिए पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध हो।	[6][15 बीघा]

स्पष्टीकरण – इस नियम में उल्लेखित क्षेत्र कमाण्ड एवं सिंचन योग्य भूमि का होगा। जहां धारित या आवंटित किये जाने वाला क्षेत्र अनकमाण्ड या बारानी है, तो ऐसी भूमि के तीन बीघा की गणना कमाण्ड एवम् सिंचन योग्य क्षेत्र के एक बीघा के बराबर की जायेगी।]

[7][16-क. [8][अपवाद] – [9][नियम 14 [10][(ii)] के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए किसी भी

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व / ख / 54, दिनांक 31.05.1958 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व / ख. / 54, दिनांक 08.12.1956 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व / ख. / 54, दिनांक 08.12.1956 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व / ख. / 54, दिनांक 08.12.1956 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व / ख. / 54, दिनांक 08.12.1956 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व / ख. / 54, दिनांक 08.12.1956 द्वारा जोड़ा गया।
7 अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व / ख. / 55, दिनांक 25.05.1956 द्वारा जोड़ा गया।
8 अधिसूचना सं. एफ. 22 (6) राजस्व / उपनि. / 65, दिनांक 21.10.1967 द्वारा जोड़ा गया।
9 अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व / II / 54, दिनांक 29.11.1957 द्वारा जोड़ा गया।
10 अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व / ख / 54, दिनांक 31.05.1958 द्वारा प्रतिस्थापित।

व्यक्ति को नियम 16 के अधीन उसके द्वारा अस्थायी काश्त पट्टा के अधीन धारित सरकारी भूमि में से कोई भूमि आवंटित नहीं की जायेगी, यदि उसने पट्टा-भूमि पर व्यक्तिगत रूप से काश्त नहीं की है :]

[1][परन्तु यदि कोई अस्थायी काश्तकार किसी विधिक कार्यवाही, किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा अवरोध या अतिचार किये जाने के कारण या उसके नियंत्रण के बाहर के किसी अन्य कारण से किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31 दिसम्बर, 1952 के पूर्व उसे अस्थायी रूप से आवंटित की गई भूमि का समय पर भौतिक कब्जा नहीं प्राप्त कर सका, लेकिन उक्त आवंटन के निबन्धनों के अधीन उसने बाद में कब्जा प्राप्त कर लिया है और तभी से व्यक्तिगत तौर पर उस पर काश्त करता रहा है, तो यह समझा जायेगा कि वह ऐसे बेकब्जा होने की कालावधि से उक्त भूमि को व्यक्तिगत रूप से काश्त करता रहा है।

(2) नियम 16 के अधीन किसी काश्तकार को या किसी कुटुम्ब को 15 जून, 1955 को अस्थायी काश्त पट्टा के अधीन उसके द्वारा वास्तविक रूप से धारित सरकारी भूमि से अधिक सरकारी भूमि आवंटित नहीं की जायेगी :

परन्तु किसी भी अस्थायी [2][या भू-धृति] काश्तकार को, जिसे नियम 16 के उप-नियम (1) एवम् (2) के अधीन भूमि आवंटित की जाती है, [3][15 बीघा] [4][x x x x] से कम आवंटित की जायेगी, यदि ग्राम में इस प्रयोजनार्थ सरकारी भूमि उपलब्ध है।

(3) जहां कोई काश्तकार, जिसे नियम 16 के अधीन सरकारी भूमि आवंटित की जानी है, कोई भू-धृति या उप-काश्तकारी भूमि धारित करता है, तो नियम 16 के अधीन उसे कोई सरकारी भूमि आवंटित नहीं की जायेगी, जब तक कि वह दोनों को एक ब्लाक में समेकित करने के लिए सहमत नहीं होता। तथापि, इस नियम का शिथिलीकरण किया जा सकेगा, यदि या तो ऐसे समेकन के प्रयोजनार्थ काश्तकार द्वारा धरित भू-धृति या उप-काश्तकारी भूमि के आस-पास कोई सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है या यदि इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध भूमि, उपनिवेश तहसीलदार की राय में उसके द्वारा रिक्त की जाने वाली भूमि की अपेक्षा ज्यादा निम्न गुणवत्ता की है।

[5][16-ख. [6][**काश्तकार, जिसके पास अस्थाई काश्त पट्टा था, देहावसान पर भूमि का आवंटन**] – (1) जहां काश्तकार, जिसे अस्थायी काश्त पट्टा मंजूर किया गया था, का देहावसान हो चुका है, लेकिन उसकी विधवा या पुत्रियों या पुरूष कर्मानुगत वशंजों का उस पर लगातार कब्जा रहा है तथा वे पट्टे को अपने पक्ष में पुनः मंजूर कराये बिना उक्त मूल काश्तकार के देहावसान के समय से ही उस पर काश्त करते रहे हैं, तो मृतक काश्तकारी की ऐसी विधवा या पुत्रियां या पुरूष कर्मानुगत वंशजों को भूमि को अस्थायी काश्त पट्टा धारक समझा जायेगा तथा नियम 16 के उपबंधों के अनुसार उनके पक्ष में भूमि का आवंटन किया जायेगा।

(2) जब आवंटन के समय संयुक्त रूप से रहने वाले भाइयों में से किसी एक को संयुक्त कुटुम्ब के मुखिया के रूप में आवंटन किया गया हो और वह निःसंतान मर जाता है

1. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/क./54, दिनांक 04.09.1957 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख./54, दिनांक 08.12.1956 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख./54, दिनांक 08.12.1956 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/ख/54, दिनांक 31.05.1958 द्वारा विलोपित।
5. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व/II/54, दिनांक 29.11.1957 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. अधिसूचना सं. एफ. 22 (6) राजस्व/उपनि./65, दिनांक 21.10.1967 द्वारा जोड़ा गया।

तो मृत आवंटी के भाईयों को, जिनके निरन्तर कब्जे में भूमि रही है और पट्टे को अपने पक्ष में पुनः मंजूर कराये बिना उक्त मृतक आवंटी की मृत्यु के समय से ही उस पर काश्त करते रहे हैं, भूमि का अस्थायी काश्त पट्टाधारक समझा जायेगा और नियम 16 के उपबंधों के अनुसार उनके पक्ष में भूमि का आवंटन किया जायेगा।

16-ग. [1][31.12.1951 के पश्चात् हुए विभाजन एवम् अन्य संक्रामण] – 31 दिसम्बर, 1952 के पश्चात् ऐसी रीति से हुए सभी विभाजन एवं विक्रय, दान तथा उप-काश्तकारी के अनुदान सहित अन्य संक्रामण जिससे उप-काश्तकार के पक्ष में कोई भू-धृति अधिकार का सृजन हो जाये और जो किसी भू-धृति खाता के क्षेत्र को कम करने की प्रवृत्ति रखते हैं, को नियम 14 एवं 16 के प्रयोजनार्थ अस्थायी काश्तकार द्वारा धारित भू-धृति भूमियों के क्षेत्र की संगणना करते समय या अस्थायी काश्त पट्टा के अधीन धारित सरकारी भूमियों के आवंटन के लिए उसकी पात्रता का निश्चयन करने के लिए विचार में नहीं लिया जायेगा तथा संगणना इस प्रकार की जायेगी, मानो ऐसा कोई अन्य संक्रामण या विभाजन हुआ ही नहीं हो।

17. मूल्यों का नियतन – [2][(1)] राज्य सरकार मूल्यों के उन मापमानों को नियत करेगी, जिन्हें इन सभी नियमों के अधीन आवंटित सरकारी भूमियों के लिए प्रभारित किया, जा सकेगा और ऐसे मापमान भूमियों के विभिन्न वर्गों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न हो सकेंगे।

[3][(2) ऐसा मूल्य 15 वार्षिक किश्तों में संदेय होगा, यदि भूमि एक फसलीय है और तीस अर्द्धवार्षिक किश्तों में, यदि भूमि दो फसलीय है और ऐसी किश्तों में से प्रथम आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी को सौंपे जाने के पूर्व संदेय होगी।]

[4][परन्तु यह कि जहां आवंटिती भूमि के मूल्य की किश्तें निक्षिप्त करने में विफल रहा हो, वहां यदि आवंटिती भूमि के बकाया मूल्य की असंदत्त राशि बिना किसी ब्याज के एकमुश्त 31.12.2013 तक जमा करा देता है, तो आवंटन प्राधिकारी द्वारा आवंटन को रद्द करने की कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी :

परन्तु यह और कि जहां भूमि के मूल्य की किश्तों के असंदाय के कारण भूमि का आवंटन रद्द कर दिया गया हो तथा भूमि किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं की गयी हो, वहां यदि आवंटिती भूमि के बकाया मूल्य की असंदत्त राशि बिना किसी ब्याज के एकमुश्त 31.12.2013 तक जमा करा देता है, तो आवंटन पुनर्स्थापित कर दिया जायेगा।]

[5][(3) यदि आवंटन के पश्चात् किसी समय, अनकमाण्ड भूमि के रूप में आवंटित की गयी कोई सरकारी भूमि, कमाण्ड भूमि हो जाती है, तो उसके आवंटन के अधीन 25 बीघा कमाण्ड भूमि के लिए आवंटी, उस मूल्य, जिसका उसने अनकमाण्ड भूमि के निबन्धनों में पहले ही संदाय कर दिया है, को कम करते हुए कमाण्ड भूमि का प्रचलित आरक्षित मूल्य राज्य सरकार को संदत्त करेगा। तत्पश्चात् शेष बचने वाली कमाण्ड भूमि, यदि कोई हो, के लिए वह उस मूल्य, जो उसने इसकी बाबत पहले ही संदत्त कर दिया है, को कम करते हुए प्रचलित बाजार मूल्य का संदाय करेगा।]

[6][(4) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उन व्यक्तियों, जिन्हें उपनिवेश क्षेत्र घोषित होने से पूर्व, राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 22 (6) राजस्व/उपनि./65, दिनांक 21.10.1967 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(24) राजस्व/उपनि./81, दि 08.11.1982 द्वारा पुनः संख्यांकित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) राजस्व/उपनि./81, दि 08.11.1982 द्वारा अंतः स्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 14(8) उपनि./2009, दिनांक 29.05.2013 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./99, दिनांक 14.03.2001 द्वारा अन्तःस्थापित।
6. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./2005, दिनांक 07.03.2008 द्वारा अन्तःस्थापित।

आवंटन) नियम, 1970 के अधीन भूमि आवंटित की गयी थी, के लिए भूमि की कीमत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के सदस्यों की दशा में उप-नियम (1) के अधीन नियत कीमत का 10 प्रतिशत और अन्यों की दशा में उप-नियम (1) के अधीन नियत कीमत का 20% होगी। इस प्रकार नियत की गयी कीमत एक किश्त में संदेय होगी।]

[1][17-क. (1) इन नियमों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी [2][संचित भूमि के पांच बीघा और असिंचित भूमि के दस बीघा तक] के भूमि के छोटे टुकड़े, [3][किसी व्यक्ति को निम्नलिखित पूर्विकता में विक्रय किया जा सकेगा, अर्थात् –

[4][(i) निकटस्थ भूमि धारित करने वाले व्यक्ति को;

(ii) एक ही एस्क्वायर में भूमि धारित करने वाले व्यक्ति को;

(iii) उसी चक में भूमि धारित करने वाले व्यक्ति को;

(iv) निकटस्थ चक में भूमि धारित करने वाले व्यक्ति को, यदि इस प्रकार अधिमानित व्यक्ति,] ऐसी ही भूमि के लिए नियत [5][[6][सूचक कीमत या आरक्षित कीमत इसमें से जो भी अधिक हो, की आधी कीमत] तीन समान वार्षिक किश्तों में संदत्त करने के लिए तैयार हो। यदि किन्हीं किश्तों का देय तारीख पर संदाय नहीं किया जाता है तो [7][@ [8][12 प्रतिशत प्रतिवर्ष] उस पर ब्याज प्रभारित किया जायेगा :

परन्तु यह कि आवंटन के लिए प्रस्तावित छोटे टुकड़ा सहित ऐसे व्यक्ति के पहले से ही कब्जे में की कुल भूमि अधिकतम परिसीमा भूमि से अधिक नहीं होगी :

[9][परन्तु यह और कि यदि एक प्रवर्ग में एक से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं, जो वही छोटा टुकड़ा लेना चाहते हैं, तो इसको उस प्रवर्ग के व्यक्तियों के मध्य नीलाम किया जायेगा और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दे दिया जायेगा।]

(2) [10][सिंचित भूमि के पांच एकड़ या असिंचित भूमि के दस एकड़] से अधिक भूमि के छोटे टुकड़े या उनके भाग निम्नलिखित क्रम में उसी चक के भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित किया जा सकेगा, अर्थात् –

(i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन व्यक्ति;

(ii) अन्य भूमिहीन व्यक्ति :

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(1) राजस्व/उपनि./73, दिनांक 05.04.1974 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) उपनि./95, दिनांक 05.05.1999 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(11) राजस्व/उपनि./75, दिनांक 30.10.1975 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./94, दिनांक 22.10.1997 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./99, दिनांक 14.03.2001 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./99, दिनांक 26.11.2004 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) उपनि./95, दिनांक 05.05.1999 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./99, दिनांक 26.11.2004 द्वारा अन्तःस्थापित।
9. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./94, दिनांक 22.10.1997 द्वारा प्रतिस्थापित।
10. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) उपनि./95, दिनांक 05.05.1999 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु यह कि उपर्युक्त खण्ड (i) एवम् (ii) के भूमिहीन व्यक्तियों में अस्थायी काश्त पट्टा धारक परस्पर पूर्विकता रखेंगे :

परन्तु यह और कि यदि विहित पूर्विकता के भूमिहीन व्यक्ति एक ही चक में उपलब्ध नहीं है, तो निकटस्थ चक के भूमिहीन व्यक्तियों को विहित पूर्विकता के अनुसार भूमि आवंटित की जा सकेगी।

टिप्पणी

भूमि का छोटा टुकड़ा – दो एकड़ से अधिक सिंचित भूमि – अभिनिर्धारित, भूमि के छोटे टुकड़े के रूप में नहीं मानी जा सकती। *सुल्तान नाथ बनाम मोडूराम,* 1991 RRD 27.

धारा 17-क का द्वितीय परन्तुक – एक ही प्रवर्ग के एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा भूमि के एक ही छोटे टुकड़े के आवंटन का दावा– अभिनिर्धारित, भूमि के नीलामी की जानी चाहिए एवं अधिकतम बोली लगाने वाले को दी जानी चाहिए। *रामकिरम बनाम बक्शाराम,* 1990 RRD 720.

[1][**17-ख. मध्यम भूखण्ड का आवंटन** – (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सिंचित भूमि का पांच बीघा और असिंचित भूमि का दस बीघा से अधिक, किन्तु सिंचित भूमि का दस बीघा और असिंचित भूमि का बीस बीघा से अनधिक माप की सरकारी भूमि का "मध्यम भूखण्ड" ऐसे भूधृति काश्तकार को, जिसकी भूधृति भूमि, ऐसे मध्यम भूखण्ड के पार्श्वस्थ है, अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए सूचक कीमत की दर पर आवंटित किया जा सकेगा :

परन्तु यदि पार्श्वस्थ भूमि के एक से अधिक काश्तकार एक ही मध्यम भूखण्ड के आवंटन के लिए आवेदन करते हैं, तो आवंटन, अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, सीलबन्द बोली द्वारा सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दिया जायेगा।

(2) ऐसे मध्यम भूखण्ड की कीमत आवंटिती द्वारा दो किश्तों में संदेय होगी, पहली किश्त आवंटन के चालू वित्तीय वर्ष में आवंटन आदेश के एक पखवाड़े के भीतर-भीतर संदेय होगी। दूसरी किश्त के सम्बन्ध में नियम नियत तारीख आगामी वित्तीय वर्ष को वह तत्समान तारीख होगी, जिस तारीख को आवंटन किया गया था। नियत तारीख को किसी किश्त के संदाय में व्यतिक्रम होने पर, व्यतिक्रमी से 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारित किया जायेगा।]

[2][**18. अपील का पुनरीक्षण** – (1) आवंटन प्राधिकारी द्वारा किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर राजस्व अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(2) राजस्व अपील प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर राजस्थान राजस्व गण्डल में पुनरीक्षण फाइल कर सकेगा।]

टिप्पणी

आवंटन का आदेश – उसके विरूद्ध पुनरीक्षण – अभिनिर्धारित, आवंटन प्राधिकारी द्वारा किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति राजस्व अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है। अतः राजस्व मण्डल को पुनरीक्षण पोषणीय नहीं है। *मामदीन बनाम सुल्तान,* 1975 RRD 238.

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./99, दिनांक 26.11.2004 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(12) राजस्व/उपनि./57, दिनांक 28.01.1981 द्वारा अन्तःस्थापित।

छोटी पट्टी की भूमि का 'आर' व 'जी' को आवंटन – राजस्व अपील प्राधिकारी ने आदेश अपास्त किया – प्रश्नगत भूमि कृषि भूमि नहीं है – सभी उपनिवेश क्षेत्र गैर उपनिवेशन हुए – प्रार्थीगण की भूमि से चिपती हुई भूमि नहीं है – भूमि नगरपालिका की है – निर्णीत, आदेश यथावत् रखा। ***Gurvindra Singh Vs. Nagar Palika Mandal Hanumangarh & Ors.***, 2012 RRD 784 : 2011-12 (Supp.) RRT 418

नियम 18(1) – विवादित भूमि 'एस' को छोटी पट्टी के रूप में कीमतन आवंटित की गई – राजस्व शिविर में आवंटन किया – सटवां काश्तकारों ने भूमि क्रय करने में रूचि नहीं ली – अप्रार्थी 'एस' की भूमि के चिपकवा विवादित भूमि है – प्रार्थी ने आवंटन हेतु आवेदन पेश नहीं किया और वह चिपकवा काश्तकार नहीं है – निर्णीत, आदेश में अवैधता नहीं है। ***Mohanlal Vs. Saroj Sharma & Anr.***, 2011 RRD 487 : 2011(2) RRT 1001

[1][18-क. कोई व्यक्ति जिसके विरूद्ध भूमि के उसके आवंटन को रद्द किये जाने का आदेश पारित किया गया है अथवा जिसका भूमि आवंटन के लिए आवेदन आवंटन प्राधिकारी द्वारा नामंजूर कर दिया गया है और आवटंन प्राधिकारी के ऐसे आदेश या विनिश्चय की पुष्टि प्रथम अपील में कर दी गयी है और यदि वह कोई द्वितीय अपील या कोई पुनरीक्षण करता है, तो वह ऐसी भूमि के आरक्षित मूल्य का 25 प्रतिशत प्रतिभूति के रूप में सरकारी कोषागार में जमा करायेगा और कोषागार चालान की प्रति अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के ज्ञापन के साथ प्रस्तुत करेगा। उसके इस प्रकार जमा कराने में असफल रहने पर द्वितीय अपील या पुनरीक्षण पुनर्विलोकन ग्रहण नहीं किया जायेगा।]

[2][भाग-ख

विक्रय]

[3][19. आवंटन एवम् विक्रय के लिए भूमि का आरक्षण – इन नियमों के अधीन निस्तारण के लिए उपलब्ध कुल सरकारी भूमि में से ऐसी प्रतिशतता, यदि कोई हो, जो सरकार विनिश्चित करे, इन नियमों के भाग-क के अधीन आवंटन के लिए पात्र भूमिहीन काश्तकारों तथा अन्य व्यक्तियों को आवंटन के लिए आरक्षित की जा सकेगी और शेष आगे दिये गये नियमों में यथा उपबंधित सार्वजनिक नीलाभी द्वारा विक्रय के लिए आरक्षित की जा सकेगी :

[4][परंतु यह कि भूमिहीन कश्तकारों को आवंटन के लिए इस प्रकार आरक्षित की गयी समस्त या आंशिक भूमि राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसे काश्तकारों की सहकारी सोसाइटी को आवंटित की जा सकेगी :]

[5][परंतु यह और कि कहीं पर भी स्थित जोहड़ पायतन भूमि या एक लाख या अधिक की जनसंख्या वाले नगर की परिधि से 12 कि.मी. के घेरे के भीतर, या पचास हजार या अधिक किन्तु एक लाख से कम की जनसंख्या वाले कस्बे की परिधि से 8 कि.मी. के घेरे के भीतर, या पच्चीस हजार या अधिक किन्तु पचास हजार से कम की जनसंख्या वाले कस्बे की परिधि से 3 कि.मी. के घेरे के भीतर स्थित सरकारी भूमि में से 25 प्रतिशत भूमि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवंटित किये जाने के लिए आरक्षित रखी जायेगी और शेष भूमि आवंटन के लिए पात्र अन्य भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित की जायेगी।]

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(24) राजस्व / उपनि. / 82, दिनांक 18.01.1985 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व / I / 54, दिनांक 05.10.1957 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 6 (77) राजस्व / ख / 54, दिनांक 04.04.1958 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 6 (80) राजस्व / क / 1956, दिनांक 09.01.1958 द्वारा जोड़ा गया।
5. अधिसूचना सं. एफ. 4(13) राजस्व / उपनि. / 76, दिनांक 01.07.1981 द्वारा प्रतिस्थापित।

20. नीलामी द्वारा विक्रय की सूचना का जारी किया जाना – (क) आवंटन प्राधिकारी लोक नीलामी द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि का संपूर्ण ब्यौरा, जैसे कि चक की संख्या, किला या एस्क्वायर की संख्या और नीलामी की तारीख, समय एवम् स्थान देते हुए एक सूचना जारी करेगा।

(ख) सूचना राज-पत्र में प्रकाशित की जायेगी, [1][परिक्षेत्र में व्यापक परिचालन रखने वाले किन्हीं दो समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।] सूचना की प्रतियां आवंटन प्राधिकारी के सूचना-पट्ट पर तथा तहसील के मुख्यालय पर या लोग समागम के किसी स्थान पर या उस भूमि, जिससे यह संदर्भित है, पर या उसके निकटस्थ चिपकायी जायेगी।

21. नीलामी का संचालन करने वाला अधिकारी – इन नियमों के अधीन सार्वजनिक नीलगी द्वारा विक्रय आवंटन प्राधिकारी द्वारा या राज्य सरकार के अनुमोदन से उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

22. विक्रय की शर्तें – इन नियमों के अधीन विक्रय की निम्नलिखित शर्तें होंगी :–

(क) इन नियमों के अधीन विक्रय की गयी सभी भूमियां अधिनियम और राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 तथा इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन होंगी।

(ख) भूमि एक लॉट या कई लॉटों में या सूचना में दर्शाये गये लॉटों से भिन्न लॉटों में विक्रय की जा सकेगी और आवंटन प्राधिकारी बिना कोई कारण बताये किसी भी लॉट या किन्हीं लॉटों को विक्रय से वापस लेने में सक्षम होगा।

[2][x x x x]

(ग) कोई भी भूमि तब तक विक्रय नहीं की जायेगी जब तक कि राज्य सरकार ने उसके लिए कोई आरक्षित मूल्य नियत नहीं कर दिया हो। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य या खुली नीलामी में प्रस्तावित किया गया मूल्य, जो भी अधिक हो, विक्रय मूल्य होगा।

(घ) किसी भी व्यक्ति को बोली लगाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह –

(i) भूमि के प्रत्येक भू-खण्ड के कुल आरक्षित मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर अग्रिम धनराशि नकद जमा नहीं करता है। यह अग्रिम धनराशि नीलामी की समाप्ति पर असफल बोली लगाने वाले को स्थल पर ही प्रतिसंदत्त कर दी जायेगी;

(ii) नीलामी का संचालन करने वाले अधिकारी के समक्ष एक घोषणा हस्ताक्षरित नहीं करता है कि वह अपने स्वयं के नाम में या संयुक्त परिवार के किसी सदस्य के नाम में कोई भूमि धारित नहीं करता है, या

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(7) उपनि./2010, दिनांक 20.09.2011 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 22 (30) राजस्व/उपनि./65, दिनांक 24.06.1968 द्वारा विलोपित।

यदि वह भूमि धारित करता है, तो पहले से धारित भूमि का और उस भूमि, जिसे वह नीलामी में क्रय करना चाहता है, का क्षेत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 3) की धारा 180 के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए संबंधित तहसील के लिए विहित क्षेत्र से अधिक नहीं होगा और कि वह भूमि पर स्वयं काश्त करने का वचन नहीं देता है।

(ङ) कोई भी व्यक्ति किसी नीलामी में अपनी बोली से नहीं मुकरेगा और यदि कोई विवाद उठता है तो भूमि, अन्तिम अविवादित बोली से पुनः नीलाम की जायेगी।

[1][(च) उच्चतम स्वीकार किये जाने योग्य प्रस्ताव उपनिवेशन आयुक्त, राजस्थान नहर परियोजना को संसूचित किया जायेगा और विक्रय तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि प्रस्ताव उसके द्वारा स्वीकार न कर लिया जाये :

परन्तु उपनिवेशन आयुक्त, राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा, जो आरक्षित मूल्य के ऊपर दस प्रतिशत से कम हो।]

(छ) राज्य सरकार किसी भी बोली को उसके लिए बिना कोई कारण बताये नामंजूर करने या किन्हीं लॉटों या भूखण्डों को बिना कोई कारण बतलाये किसी भी समय नीलामी से वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

[2][(ज) बोली समाप्त होने की तारीख को क्रय मूल्य के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि नकद जमा करानी होगी, क्रय मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत ऐसी तारीख के एक महीने के भीतर तथा शेष साठ प्रतिशत दो समान वार्षिक किश्तों में, अर्थात् क्रय मूल्य का तीस प्रतिशत ऐसी तारीख के एक वर्ष पश्चात् और शेष तीस प्रतिशत द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर संदत्त किया जायेगा। किश्तों में संदेय राशि पर [3][9] प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देय होगा तथा ब्याज क्रय मूल्य की किश्तों के साथ संदेय होगा :

परन्तु उपरोक्तानुसार ब्याज सहित किश्तों के संदाय की छूट 21 अक्टूबर, 1961 के पश्चात् नीलामी द्वारा किये गये विक्रयों पर भी लागू होगी :]

[4][परन्तु यह कि कुल मूल्य या सभी बकाया रही किश्तों का संदाय 31.03.1972 तक किये जाने की स्थिति में, मूल्य या किश्तों की राशि, जो संदाय की इस तारीख तक देय नहीं हुई हो, पर 25 प्रतिशत के बराबर छूट अनुज्ञात होगी।

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 7 (24) सिंचाई / 61, दिनांक 10.08.1962 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 22 (26) राजस्व / उपनि. / 65, दिनांक 23.09.1966 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(8) राजस्व / उपनि. / 76, दिनांक 18.02.1984 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 22 (30) राजस्व / उपनि. / 65, दिनांक 28.11.1970 द्वारा प्रतिस्थापित।

(झ) यदि कोई क्रेता पूर्वगामी शर्तों में से किसी शर्त का अनुपालन या पालन करने में विफल रहता है, तो उसकी जमा राशि राज्य सरकार को समपहृत हो जायेगी और भूमि का सार्वजनिक नीलामी द्वारा पुनः विक्रय किया जा सकेगा और ऐसे पुनः विक्रय पर मूल्य में होने वाली कोई भी कमी व्यतिक्रमी क्रेता द्वारा पूरी की जायेगी और संदत्त की जायेगी।

(ञ) यदि किसी भी समय यह मालूम हो कि खण्ड (घ) में संदर्भित घोषणा मिथ्या है, तो अधिक भूमि, और यदि क्रेता भूमि में स्वयं व्यक्तिक तौर पर काश्त करने में असफल रहता है, तो विक्रय की गयी समस्त भूमि किसी प्रतिकर का संदाय किये बिना राज्य सरकार द्वारा पुनः अभिग्रहीत की जा सकेगी।

[1][(ट) यदि अन-कमाण्ड/बारानी भूमि के रूप में विक्रीत कोई भी सरकारी भूमि किसी भी समय कमाण्ड भूमि हो जाती है, तो क्रेता या यथास्थिति, भूमि पर कब्जा रखने वाले पश्चात्वर्ती अन्तरितियों को सम्मिलित करते हुए उसका अन्तरिती राज्य सरकार को उसी गुरब्बा/चक की अनकमाण्ड/बारानी भूमि के विक्रय के समय राज्य सरकार द्वारा कमाण्ड भूमि की अधिसूचित कीमत और यदि, उसी मुरब्बा/चक में कमाण्ड भूमि की कीमत नहीं की गई है, तो निकटस्थ मुरब्बा/चक में की कमाण्ड भूमि की कीमत या अनकमाण्ड भूमि के विक्रय के समय खुली नीलामी में प्रस्तावित कीमत, इसमें से जो भी अधिक हो, कमाण्ड भूमि के विक्रय की तारीख से और कमाण्ड भूमि की अन्तर राशि के संदाय की तारीख तक 12% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ, उस कीमत को घटाकर जो वह अनकमाण्ड/बारानी भूमि के लिए पहले संदत्त कर चुका है, का संदाय करेगा।]